Incentives to importers of essential Commodities

122. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have announced special facilities for the import of essential consumer goods in view of the shortage and rising prices of these items; and

(b) whether during the preceding years, wheat, edible oils, pulses, sugar were imported to bring down the rising prices, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) Under the current Export and Import Policy, as amended, import of wheat is canalised through FCI. Import of white crystal sugar/refined sugar/raw sugar, pulses (except toxic pulses) and all edible oils excluding coco-nut oil, RBD Palm oil, RBD Palm Stearin and palm kernel oil are freely importable.

During 1992-93 a total of 29.90 lakh tonnes (5% more or less at Buyers option) of wheat had been contracted for imports. Against the contracted quantity of 29.90 lakh tonnes, 30.65* lakh tonnes wheat had been received during 1992-93 and 1993-94. Government keeps on reviewing the stock position of foodgrains with it and decision to import foodgrains is resorted to if necessary, to augment availability of foodgrains to meet the requirement of PDS, etc., and to contain open market price. The stock position of foodgrains in the Central Pool continues to be very comfortable. Therefore," there is no need to import foodgrains at present or in immediate future.

During 1994-95 a total quantity of 1.07 lakh MTs of edible oil (Palmolein) was imported by STC for distribution through Public Distribution System. A quantity of about 9.77 lakh tonnes of sugar was also imported by STC & MMTC during 1994-95 for distribution through Public Distribution System. A quantity of 5.5 lakh MTs of pulses was imported into the country under Open General Licence (OGL) in 1994-95.

In order to contain rise in prices of pulses, Government has taken some long-term measures to increase production of pulses and also recently reduced the customs duty on import of pulses from 10% to 5%.

आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

123. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या आदिवासी क्षेत्र के निवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में और समय पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने रेगिस्तानी, सूखा प्रवण, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजानिक वितरण प्रणाली की पहुंच में सुधार करने के लिए वर्ष 1992 में देश में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संपुष्ट सार्वजानिक वितरण प्रणाली शुरू की थी। समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के तहत आने वाले सभी ब्लाक आदिवासी बहुल राज्य तथा असम के उत्तरी कछार और कार्बी एंगलोंग जिले संपुष्ट सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपुष्ट सार्वजानिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए जिन केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करती हैं, वे सामान्य सार्वजानिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50 रू. प्रति क्विंटल कम होते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनके द्वारा संपुष्ट सार्वजानिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों को किए गए सामान्य आवंटनों के अलावा, इन क्षेत्रों में वितरण के लिए हर

वर्ष 32 लाख मी. टन की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार इस स्कीम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित रूप अनुवीक्षा तथा समीक्षा भी करती है। इन आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गोदामों का निर्माण करने और उचित दर की दुकानों के दरवाजे पर सुपुर्दगी करने तथा चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के रूप में इस्तेमाल के लिए वैनों की खरीदे हेतु वित्तीय सहायता देती हैं। ये कदम आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को सार्वजानिक वितरण प्रणली की वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता हैं।

आठवीं योजना का मध्यवधि विश्लेषण

124. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यवधि विश्लेषण किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो अब और उक्त विश्लेषण की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) यदि अब तक कोई विश्लेषण नहीं किया गया हैं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच नहीं हैं कि योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के कारण योजना का मध्यवधि विश्लेषण और भी आवश्यक हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के मध्यवधि मूल्यांकन (एम.टी.ए.) से सम्बन्धित आवश्यक प्रक्रियाएं भारत सरकार से सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से योजना आयोग में चल रही है।

(ख) से (ड.) ये प्रश्न मध्यावधि मूल्यांकन पूरा होने के बाद ही उठेंगे।

NGOs functioning in the field of consumer affairs

125. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) how many Non-Governmental Organisation (NGOs) are functioning in the country, State-wise, in the field of creating consumer awareness;

(b) what is the financial assistance given to them by Government for promoting consumer awareness;

(c) whether a Consumer Protection NGO Organisation from Bangalore has sought financial assistance to set up a building and laboratory; and

(d) if so, whether Government have considered their request and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) More than 500 consumer organisations are functioning in the country. The Directory containing State-wise details is available in the Parliament Library.

(b) Yes, Sir. The Government has set up Consumer Welfare Fund to assist them. Under the Rules, any agency/ organisation which is engaged in the consumer welfare activities for a minimum period of 3 years and is registered under any law for the time being in force, is eligible for seeking any financial assistance from fund. The Ministry also has an another scheme for giving financial assistance to voluntary consumer organisations where financial assistance to a maximum of Rs. 25,000 (on 75% grant basis) is given.

(c) A Bangalore based organisation has submitted a proposal for the financial assistance for setting up of an Indian Institute of Consumer Studies. Central Government has sanctioned Rs. 4,00,000/ from the Consumer Welfare Fund.

(d) Does not arise.

Import of Soyabean

126. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Soyabean is being imported during 1995-96;

(b) if so, the country from which Soyabean is being imported;

(c) the total quantum of Soyabean proposed to be imported during the current financial year; and

(d) the details . of the terms of